भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2358
13.12.2021 को उत्तर के लिए

प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत वृक्षारोपण

2358. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए 1.9 करोड़ से अधिक वृक्ष काटे गए और गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ वृक्ष लगाए गए;
(ख) प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत लगाए गए वृक्षों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए सरकार द्वारा कौन सा तंत्र स्थापित किया गया है;
(ग) प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत लगाए गए वृक्षों की उत्तरजीविता दर कितनी है;
(घ) क्या सरकार के पास उन एजेंसियों से फीस लेने का कोई प्रस्ताव है जो वृक्षों को काटने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण के लिए आवेदन करती हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): गत पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) में, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत 1,20,33,775 पौधों के रोपण के प्रस्तावों को पूर्व मंजूरी प्रदान की गई थी और प्रतिपूरक वनीकरण के तहत 20,81,04,094 पौधों का रोपण किया गया।

(ख) और (ग): प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत किए गए वृक्षारोपण को रोपित पौध प्रजातियों, रोपण स्थल के मिट्टी संबंधी कारकों और जलवायु संबंधी दशाओं के आधार पांच से दस वर्षों की अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाता है। इस अवधि के दौरान, राज्यों के वन विभागों द्वारा वृक्षारोपण की नियमित निगरानी की जाती है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। गत पांच वर्षों के दौरान, प्रतिपूरक वनीकरण के तहत लगाए गए पेड़ों की राज्यवार उत्तरजीविता दर का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) और (ङ.): जब कभी केंद्रीय सरकार द्वारा वन भूमि के वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु पूर्वानुमोदन प्रदान किया जाता है तो प्रयोक्ता एजेंसी से मानकों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) की लागत और भूमि के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की वसूली की जाती है। इसके अलावा, मामला-दर-मामला के आधार पर मृदा और आर्द्रता संरक्षण कार्यों, जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना और वन्यजीव प्रबंधन योजना आदि जैसे उपशमन के अतिरिक्त उपाय भी निर्धारित किए जाते हैं।

*****

अनुबंध-I

"प्रतिपूरक वनीकरण के तहत वृक्षारोपण" के संबंध में श्री जीएम सिद्धेश्वर द्वारा दिनांक 13.12.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2358 के भाग (ग) के उत्तर में अल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	वर्ष राज्य	2016-2017			2017-2018			2018-2019			2019-2020			2020-2021			कुल	
		लगाए गए पौधो की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	उत्तर जीविता%	लगाए गए पौधो की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	उत्तर जीविता%	लगाए गए पौधो की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	उत्तर जीविता%	लगाए गए पौधो की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	उत्तर जीविता%	लगाए गए पौधो की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	उत्तर जीविता %	कुल रोपे गए पौधे	कुल जीवित पौधे
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37928	35483	94	625	656	105	610	515	84	440	430	98	10538	8370	79.43	50141	45454
2	आंध्र प्रदेश	359491	273213	76	509586	407668	80	1996641	1717111	86	991562	872574	88	483362	435025	90.00	4340642	3705591
3	अरुणाचल प्रदेश	1610125	1046581	65	2962146	2043881	69	986700	592020	60	461670	300085	65	0	0	0.00	6020641	3982567
4	असम	1317832	764342	58	0	0	0	935280	561168	60	2201945	1651459	75	77800	66908	86.00	4532857	3043877
5	बिहार	164019	140236	85	588007	537607	91	2131996	1982770	93	502200	486205	97	2420607	2420607	100.00	5806829	5567425
6	चंडीगढ़	12000	10720	89	10000	9180	92	8820	7990	91	10500	9570	91	14000	13128	93.77	55320	50588
7	छतीसगढ	2438132	1802052	74	824743	641029	78	4543403	3679221	81	1478293	1363340	92	3173636	3046856	96.01	12458207	10532498
8	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55343	निगरानी और मूल्यांकन कार्य प्रक्रियाधीन है	0.00	55343	0
9	गोवा	0	0	0	0	0	0	25145	21373	85	73930	66537	90	200000	180000	90.00	299075	267910
10	गुजरात	1314313	920019	70	941017	677532	72	828806	596740	72	2135808	1815437	85	1133042	1019738	90.00	6352986	5029466
11	हरियाणा	1098485	548124	50	556932	467894	84	1122126	850922	76	293975	204530	70	1240000	निगरानी और मूल्यांकन कार्य प्रक्रियाधीन है	शून्य	4311518	2071470

12	हिमाचल प्रदेश	2267771	975142	43	2206270	1147260	52	1048212	639409	61	1114577	802495	72	1180232	967790	82.00	7817062	4532096
13	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	730000	321200	44	1539000	754110	49	612000	312120	51	1094000	656400	60	1447000	868200	60.00	5422000	2912030
14	झारखंड	4150945	3528303	85	5519569	4746829	86	3098707	2949969	95	4501353	4411326	98	527153	निगरानी और मूल्यांकन कार्य प्रक्रियाधीन है	शून्य	17797727	15636427
15	कर्नाटक	1133840	623612	55	2296000	2066400	90	349856	192421	55	952576	603902	63	269792	मूल्यांकन कार्य किया जाना है	शून्य	5002064	3486335
16	केरल	0	0	0	0	0	0	145320	116256	80	0	0	0	23400	18252	78.00	168720	134508
17	मध्य प्रदेश	2280696	1736322	76	12104218	9770016	81	4896573	4068367	83	11471221	9382716	82	9439579	8732718	92.51	40192287	33690139
18	महाराष्ट्र	2217595	1505082	68	1902186	1166420	61	1780614	1294862	73	3136905	2550304	81	652809	584068	89.47	9690109	7100736
19	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	358240	250768	70	0	0	0	3542104	3152472	89.00	3900344	3403240
20	मेघालय	0 (केवल 183.44 हेक्टेयर वृक्षारोपण का अनुरक्षण कार्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0 (26 हेक्टेयर के लिए केवल उन्नत कार्य पूर्ण और 150 हेक्टेयर वृक्षारोपण का रखरखाव)	शून्य	शून्य	0	0

21	मिजोरम	962610	776249	81	0	0	0	386895	निगरानी और मूल्यांकन कार्य प्रक्रियाधीन है	0	0	0	0	1360150	निगरानी और मूल्यांकन कार्य प्रक्रियाधीन है	0.00	2709655	776249
22	ओडिशा	313300	207498	66	839816	571487	68	0	0	0	1864590	1342782	72	1951220	1598654	81.93	4968926	3720421
23	पंजाब	1721040	1290780	75	1024799	840200	82	1183790	971550	82	1310980	1114333	85	311993	280793	90.00	5552602	4497656
24	राजस्थान	1612380	944855	59	3032172	2083102	69	1623877	1178935	73	1858859	1459204	78	1705578	1412219	82.80	9832866	7078315
25	सिक्किम	0	0	0	374496	256522	68	139200	97536	70	188807	122645	65	116647	82321	70.57	819150	559024
26	तमिलनाडु	18015	16613	92	13060	11624	89	25820	23856	92	1266	1215	96	0	0	0.00	58161	53308
27	तेलंगाना	537882	430305	80	546610	427288	78	2112380	1789904	85	4202701	3584160	85	4103050	3582440	87.31	11502623	9814097
28	त्रिपुरा	720839	485918	67	635769	399581	63	139519	86878	62	538099	413475	77	203086	152315	75.00	2237312	1538167
29	उत्तर प्रदेश	5319680	4202547	79	2649741	2225782	84	1500158	1290136	86	1024589	932376	91	1317700	1264991	96.00	11811868	9915832
30	उत्तराखंड	4617600	1873822	41	5558736	2783259	50	4343664	3214311	74	5351000	4601860	86	3208008	3047608	95.00	23079008	15520860
31	पश्चिम बंगाल	75700	49962	66	169098	115306	68	503217	404552	80	244275	136794	56	265761	250503	94.26	1258051	957117
32	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
	कुल	**37032218**	**24508980**		**46804596**	**34150633**	-	**36827569**	**28891660**		**47006121**	**38886154**		**40433590**	**33185976**		**208104094**	**159623403**
***टिप्पणी: कर्नाटक में 2020-21 के दौरान काम्पा के तहत किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाना बाकी है।**																		